Serial No. 4979 Circle:-:Danapur Book No. :- 1 Deed No. 4873

Serial No. 4979 Deed No. 4873

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **05/07/2024** by **Kanchan Singh**
A stamp duty of Rs. **494100**/- and other fees of Rs. **21000**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **4873** in Book No. **1**, Volume No. **110** on pages from **181** to **201** and has been preserved in total **21** pages in C.D. No. **17** / Year **2024**

Signature with Date
(**Arpana**)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 05/07/2024 Token No: 5054 /2024

रोक सूची खेसरा पंजी/चेक लिस्ट से मिलान किया।

दस्तावेज जाँचकर्ता

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा आज दिनांक–05.07.2024 ई0 को निम्न पक्षों के बीच निर्विवाद रूप से निष्पादित किया गया।

भूखण्ड स्वामिणीगण/प्रथम पक्ष का नाम एवं पूरा पता :–

(I) **श्रीमती कंचन सिंह (MRS. KANCHAN SINGH),** (D.O.B.-15-12-1954/Aged about-70 Years, Mobile No.-9334331991, PAN-AMHPS9506L, Aadhaar No.-2815 1356 2582), पति का नाम श्री अरूण कुमार सिंह, निवास स्थान–रूकुनपुरा, पत्रालय–खुसरूपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना (बिहार) एवं आधार में दर्ज पता–623/417/1, के. एम. सिंह लेन, विष्णु पैलेस के नजदीक, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, शहर एवं जिला–पटना (बिहार), पिन–800001, (अनुसूची–I के लॉट सं0–I में वर्णित भूमि 19.25 डिसमिल के निर्विवाद भू–स्वामिणी)

दस्तावेज जाँच

लिपिक

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

(II) श्रीमती सोना कुमारी उर्फ सोना रघुवंशी (MRS. SONA KUMARI alias SONA RAGHUVANSHI), (D.O.B.-11-02-1977/Aged about-47 Years, Mobile No.-9819751454, PAN-ASNPR9702K, Aadhaar No.-2582 1354 8527), पति का नाम श्री अभिषेक रघुवंशी, निवास स्थान–273, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, रोड नं0–3/ई0, पत्रालय एवं थाना–पाटलीपुत्रा, जिला–पटना (बिहार), पिन–800013 एवं आधार में दर्ज पता–बी–801, रहेजा हाइट्स, ए0 के0 विद्या मार्ग, एन.एन.पी. अपोजिट, मलाड (पुर्वी), सबर्बन, मुम्बई (महाराष्ट्र), पिन–400097,

(अनुसूची–I के लॉट सं0–II में वर्णित भूमि 9.375 डिसमिल के निर्विवाद भू–स्वामिणी)

(III) श्रीमती राखी मुकुल कुमार (MRS. RAKHI MUKUL KUMAR), (D.O.B.-03-07-1975/Aged about-49 Years, Mobile No.-8130765572 PAN-AYTPS0520J, Aadhaar No.-2840 3411 0115), पिता का नाम श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं पति का नाम श्री मुकूल कुमार, निवास स्थान–डी–2/355, पंडारा रोड, न्यू दिल्ली, पत्रालय–जी0पी0ओ0 न्यू दिल्ली, दिल्ली, पिन–110001,

(अनुसूची–I के लॉट सं0–III में वर्णित भूमि 9.375 डिसमिल के निर्विवाद भू–स्वामिणी)

राष्ट्रीयता–भारतीय, (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिन्हें आगे **"भूखण्ड स्वामिणीगण/प्रथम पक्ष"** इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विकासकर्त्ता/उन्नयनकर्त्ता/भवन निर्माता नाम एवं पूरा पता :–

सात्विका इन्फ्रा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (SATVIKA INFRA INDIA PRIVATE LIMITED) (PAN-ABDCS0308J), कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान सं0–U45309BR2019PTC044413 एवं निबन्धित कार्यालय–एस0के0पुरी, थाना – एस0के0पुरी, पत्रालय–पाटलीपुत्रा, शहर वो जिला–पटना (बिहार), पिन–800013, द्वारा प्रबंध निदेशक **श्री सुबोध वर्मा**, पिता का नाम स्वर्गीय देवकी नन्दन प्रसाद वर्मा, निवासी–तृतीय मंजिल, इन्दु निकेतन, बसावन पार्क लेन, श्रीकृष्णापुरी, बोरिंग रोड, थाना–श्रीकृष्णापुरी, पत्रालय–जी0 पी0 ओ0, शहर एवं जिला–पटना (बिहार), पिन–800001, राष्ट्रीयता–भारतीय, (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न, कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिन्हें आगे **"विकासकर्त्ता/उन्नयनकर्त्ता/द्वितीय पक्ष"** इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

Sona Raghuvanshi 5/7/2024

Rakhi Singh 5/7/2024

–: : सन्दर्भ : :–

हकियत यह है कि अनुसूची–I के लॉट सं0–I में वर्णित भूमि में से क्षेत्रफल 3 कट्ठा 3 धुर 4 धुरकी समतुल्य 9.875 डिसमिल भूमि को **श्रीमती कंचन सिंह** (भूस्वामिणी संख्या–I) ने दिनांक–18–05–1992 ई0 को निर्विवाद विक्रय–पत्र संख्या–3409, पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–145, पृष्ठ संख्या–227 से 238 तक, अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा श्री शिव कुमार अग्रवाल, पिता का नाम स्वर्गीय केशरी चन्द्र अग्रवाल, निवास स्थान–पार्टनर इसर्मेको पटना आवास फ्लैट संख्या–44, चौथी मंजिल, यमुना अपार्टमेन्ट, बोरिंग रोड, पत्रालय–जी0पी0ओ0, थाना–श्रीकृष्णापुरी, शहर एवं जिला–पटना (बिहार) से खरीद किये थे वो खरीदारी के दिन से **श्रीमती कंचन सिंह** (भूस्वामिणी संख्या–I) उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणी की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहती हुई, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करती हुई, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हलका–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–1239, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900140057, भाग वर्तमान–2 एवं पृष्ठ सं0–1239 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

यह कि अनुसूची–I के लॉट सं0–I में वर्णित भूमि में से क्षेत्रफल 3 कट्ठा समतुल्य 9.4062 डिसमिल भूमि को **श्रीमती कंचन सिंह** (भूस्वामिणी संख्या–I) ने दिनांक–05–09–1992 ई0 को निर्विवाद विक्रय–पत्र संख्या–6879, पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–224, पृष्ठ संख्या–311 से 326 तक, अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, पिता का नाम स्वर्गीय केशरी चन्द्र अग्रवाल, निवास स्थान–पार्टनर इसर्मेको पटना आवास फ्लैट संख्या–44, चौथी मंजिल, यमुना अपार्टमेन्ट, बोरिंग रोड, पत्रालय–जी0पी0ओ0, थाना–श्रीकृष्णापुरी, शहर एवं जिला–पटना (बिहार) से खरीद किये थे वो खरीदारी के दिन से **श्रीमती कंचन सिंह** (भूस्वामिणी संख्या–I) उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणी की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहती हुई, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करती हुई, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हलका–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–1238, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900139040, भाग वर्तमान–1 एवं पृष्ठ सं0–1238 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

SATVIKA INFRAINDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

यह कि अनुसूची–I के लॉट सं0–II में वर्णित क्षेत्रफल 3 कट्ठा समतुल्य 9.375 डिसमिल भूमि को **श्रीमती सोना रघुवंशी उर्फ सोना कुमारी** (भूस्वामिणी संख्या–II) ने दिनांक–24–03–2011 ई0 को निर्विवाद विक्रय–पत्र संख्या–8779, पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–152, पृष्ठ संख्या–222 से 229 तक, सी0 डी0 संख्या–24/2011 ई0, टोकन सं0– 10671/2011 ई0, सिरियल सं0–10369 जिला निबंधन कार्यालय–पटना (बिहार) के द्वारा श्री प्रभात कुमार, श्री कुन्दन कुमार एवं श्री राजेश कुमार, तीनों के पिता का नाम स्वर्गीय गंगा प्रसाद सिंह, निवास स्थान–ग्राम–रूकनपुरा, पत्रालय एवं थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना (बिहार) से खरीद किये थे वो खरीदारी के दिन से **श्रीमती सोना रघुवंशी उर्फ सोना कुमारी** (भूस्वामिणी संख्या–II) उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणी की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहती हुई, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करती हुई, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हलका–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–4905, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0– 212139900084978, भाग वर्तमान–40 एवं पृष्ठ सं0–74144 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

यह कि अनुसूची–I के लॉट सं0–III में वर्णित क्षेत्रफल 3 कट्ठा समतुल्य 9.375 डिसमिल भूमि **श्रीमती राखी मुकुल कुमार** (भूस्वामिणी संख्या–III) को अपने गोतीया पट्टीदार से आपसी बँटवारा के माध्यम से प्राप्त हैं बँटवारा के द्वारा **श्रीमती राखी मुकुल कुमार** (भूस्वामिणी संख्या–III) उपरोक्त सम्पत्ति वो अन्य एराजीयात खास हिस्से वो दाज में मिला, जिसपर **श्रीमती राखी मुकुल कुमार** (भूस्वामिणी संख्या–III) शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणी की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहती हुई, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर, इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करती हुई, नामान्तरण मुकदमा संख्या–2087/2020–2021 ई0 के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय–दानापुर (बिहार), हलका–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900133122, भाग वर्तमान–107 एवं पृष्ठ सं0–46 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

इस प्रकार अनुसूची–I में वर्णित भूमि का सर्वाधिकारी वो दखलकार वो हस्तांतरण कर्त्ता का मात्र प्रमाण भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष को प्रमाणित होता है वो भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष को अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल–कब्जा प्राप्त है तथा सम्पत्ति के भू–स्वामिणीगण बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांति पूर्वक रहती हुई चली आ रही हैं।

इस तरह भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष लेख्य सम्पत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का विकास एकसारनामा/एकसारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं।

SATVIKA INFRAINDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

Sona Raghuvanshi

यह कि सात्विका इन्फ्रा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड एक रीयल इस्टेट कम्पनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि का विकास कर बहुमंजिला इमारत बनाना, डुप्लेक्स/ट्रिपलेक्स/ग्रुप हॉउसिंग/टाउनशिप का निर्माण करना, कॉलोनी बसाना, व्यावसायिक/आवासीय बहुमंजिला इमारत बनाना, मॉल बनाना वो अनेक प्रकार से भूमि का विकास कर उसे अपने क्रेता को बेचना है।

यह कि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के बीच इस संबंध में इस दस्तावेज के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त भूमि पर बहुमंजिला व्यावसायिक/आवासीय इमारत का निर्माण हेतु ग्रहण करेंगे एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला इमारत की निर्माण करेगें।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर भूकम्प अवरोधी बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जायेगा :–

1. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूमि को, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष की नियुक्ति, वर्णित भूखण्ड क्षेत्र पर नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित सुपर डीलक्स कोटी के बहुमंजिला इमारत का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप एवं बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006/समय–समय पर संशोधित अधिनियम/सम्बन्धित नए/अन्य अधिनियम के प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य वर्णित निर्धारित अवधि के अन्दर, नियम एवं शर्त्तों के अनुसार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे। इस संदर्भ में भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी कि सम्बन्धित विभाग को देने हेतु आवश्यक सभी भूमि सम्बन्धित दस्तावेज इस एकरारनामा के निष्पादन के तुरन्त बाद विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कर दें एवं भूमि के सभी आवश्यक कागजात के पूर्ण होने के पश्चात् नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा।
2. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के स्वामित्व संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कर देंगें और यदि भविष्य में उसकी मूल प्रति की जरूरत पड़ी तो उसे भी विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेंगें, जिसे विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष कार्य के समाप्ति के पश्चात् वापस कर देगें।
3. **यह कि** विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष उक्त भूमि का विकास कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर. सुनिश्चित करेंगे और तद्नुसार विकास योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृत प्राधिकार अर्थात् नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR
5/11/2024

Sona Raghuvanshi
5/11/2024

5/11/2024

Rakhi Singh
5/11/2024

4. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष सहमत है कि अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार प्रस्तावित निर्माण की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और बहुमंजिला इमारत की स्वीकृत प्राप्त करेंगे, उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे।

यह कि वास्तुकार द्वारा तैयार प्लान/नक्शा की स्वीकृति हेतु नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी को भेजने के पूर्व भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष को प्लान/नक्शा अवलोकनार्थ विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तुत करेगें।

5. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को अधिकार देते हैं कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर के द्वारा नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी के यहाँ नक्शा स्वीकृति हेतु सभी तरह के आवेदनों/नक्शा पर अपना हस्ताक्षर कर देगें तथा नक्शा स्वीकृत कराकर, अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करेंगे, भविष्य में प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत बनने के बाद अगर नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिला इमारत से ऊपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की स्वीकृति के लिए भी संशोधित योजना हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर के द्वारा नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी के यहाँ नक्शा स्वीकृति हेतु दे सकते हैं तथा नक्शा स्वीकृत कराकर, अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर पूर्व में बने बहुमंजिला इमारत से ऊपर या अन्य स्थान पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे।

6. **यह कि,** दोनों पक्षों द्वारा यह तय किया गया है कि नगर परिषद् दानापुर निजामत्/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के अनुपात में स्वीकृत F.A.R. के अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष को प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में निर्माणोपरान्त विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा आवंटन किया जाएगा वो कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का होगा। जिसकी सहमति स्वीकृत के साथ भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष वो विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा दी जाती है।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR
5/11/2024

5/11/2024

Rakhi Singh 5/11/2024
Sona Raghuvanshi 5/11/2024

7. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष के अलावे किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है, अगर कोई दावा करता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वो जबावदेही भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष की है वो रहेगी एवं इसका निपटारा भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष स्वयं प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में अपने मिलने वाले उपरोक्त हिस्से के द्वारा ही करेंगे, किसी भी परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

8. **यह कि** अनुसूची–I में वर्णित भूमि का नक्शा स्वीकृत होने के पश्चात् दोनों पक्ष प्रस्तावित नक्शा के आधार पर एक अनिबंधित हिस्सा का वितरण (Share Distribution) का निष्पादन करेंगे जो इस विकासकार्य एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा, और उसी के अनुरूप दोनों पक्ष उक्त दुकान/ ऑफिस/युनिट, फ्लैटों/पार्किंग वो अन्य स्थान पर कब्जाधारी बनेंगे तथा स्वामित्व होगा।

9. **यह कि** नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक उपरोक्त हिस्से (50 प्रतिशत हिस्सा) के लिए भूखण्ड स्वामिणीगण भी हकदार होंगे और उसी अनुपात में क्रेताओं/स्वामियों का प्रति फ्लैट अनुपातिक भूमि में हिस्सा बदल जायेगा।

10. **यह कि** विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष, भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष को विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना का नक्शा नियमानुसार नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिहार द्वारा निबन्धन कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत बनाने हेतु स्वीकृति मिलने की तिथि से निर्माण कार्य तीन वर्ष इसके अतिरिक्त छः महीना का समय विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को ग्रेस अवधि के रूप में भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया है, जिसके भीतर उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत का सम्पूर्ण निर्माण अनुसूची–II के अनुरूप कर, भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित क्षेत्रों के निर्माण, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष का पूरा हिस्सा दखल कब्जा दे देंगे, बशर्ते कि प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना, लॉकडाउन, महामारी, निर्माण सामाग्री के उपलब्ध नहीं होने, स्वामित्व सम्बन्धित विवाद आदि के कारणों से निर्माण कार्य में बाधा न पहुचायें तथा उन समयों को निर्माण के लिये निर्धारित अवधि में गणना नहीं की जाएगी एवं समय स्वतः बढ़ जाएगा।

11. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते हैं, कि यदि किसी प्रकार का दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखंड या भूखंड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेंगे और इस कारण से निर्माण में हुई विलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ा जायेगा।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR
5/11/2024

Sona Raghuvanshi
5/11/2024

Ravi Singh
5/11/2024

12. **यह कि** किसी कारणवश जिसके लिए भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष दोषी हो निर्माण कार्य बन्द हो जाये या निर्माण कार्य में बाधा हो अथवा सरकारी नितियों के कारण, मुकदमों के कारण या न्यायालय आदेश के तहत निर्माण कार्य ठप्प हो जाये ऐसी परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का कोई दोष नहीं माना जाएगा। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा सभी कानूनी प्रक्रियाओं को गुजरने में जो समय लगेगा उन सभी समयों की गणना निर्धारित समय में नहीं की जाएगी।

13. **यह कि** बहुमंजिला इमारत बनने के सभी तरह के खर्च का वहन इस एकरारनामा के निष्पादन की तिथि से विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा, जबकि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इस बात के लिये जबावदेह नहीं होंगे कि इस एकरारनामा के निष्पादन के पहले का अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के संबंध में बकाया राशि अथवा किसी तरह की जबावदेही नहीं उठायेंगे तथा उसकी जबावदेही भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष की होगी तथा अनुसूची–I में वर्णित भूमि से सम्बन्धित किसी तरह के विवाद/रोक के लिए भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से जबावदेह होंगे।

14. **यह कि**, प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य के दौरान किसी दुर्घटना से जान–माल की क्षति होती है तो इसकी पूर्ण वित्तीय/न्यायिक जबाबदेही विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष की होगी। इसके लिये भूखण्ड स्वामिणीगण की किसी तरह की जबाबदेही नहीं होगी।

15. **यह कि**, प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत की स्वीकृत नक्शा के अनुरूप कार्य सम्पादन के दौरान अनुमान्य सीमा से अधिक परिवर्तन/परिवर्द्धन विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाता है, तो इसकी इसकी पूर्ण वित्तीय/न्यायिक जबाबदेही विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष की होगी।

16. **यह कि**, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा किसी कारणवश निर्माणकार्य निर्धारित समय के अनुसार प्रारम्भ एवं पूर्ण नहीं किया जाता है, वैसी स्थिति में इसकी पूर्ण जबाबदेही विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसी स्थिति में भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा को रद्द करने के लिये स्वतंत्र होगें।

17. **यह कि**, इस एकरारनामा के तहत विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को सिर्फ उनके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से कोई सरोकार या दावा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष नहीं करेंगे।

इसी तरह भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष को सिर्फ उनके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र एवं निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र में कोई सरोकार या दावा भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष नहीं करेंगे तथा दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से को बिना दूसरे के इजाजत के बेचने, उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

Sana Raghuvanshi
Rudra Singh

18. **यह कि** निर्माण कार्य के मार्ग में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात् पूँजी का समावेश (लोन) विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के संभावित (प्रोसपेक्टीव) क्रेताओं के पक्ष में दिलायेंगे। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष, भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष के विकसित क्षेत्रों पर किसी तरह का बैंक खर्च (लोन), इत्यादि नहीं लेंगे। पूंजी मुहैया हेतु भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष या विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने–अपने हिस्से के अनुसार करेंगे इसके लिए भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष या विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र एक–दूसरे से लेने की आवश्यकता न है ना होगी।

19. **यह कि** जब कभी विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को आवश्यकता होगी, कि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष की आवश्यकता किसी भी तरह के वसिकाओं के निष्पादन में पड़ेगी, तब भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष किसी भी क्रेता/तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिये स्वामित्व स्थानांतरण हेतु या अन्य कागजातों पर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एवं भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष हस्ताक्षर/निष्पादन करेंगे।

20. **यह कि** इस दस्तावेज के निष्पादन के पश्चात् भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एवं इनके कर्मचारियों, अभिकर्त्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों इत्यादि को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश कर कार्य करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे विभिन्न विकासकार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें।

21. **यह कि** दोनों पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि उपरी छत, सेट बैक, सीढी इत्यादि पर सभी फ्लैट में रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा एवं व्यक्तिगण रूप से इस पर किसी का कोई दावा नहीं होगा।

22. **यह कि** दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई है कि परियोजना के पूर्ण होने पर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एवं भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष अपने–अपने हिस्से के निर्विवाद रूप से पूर्ण स्वामिणीगण होगें एवं अपने–अपने हिस्से के निश्वत् नगरपालिका कर, वस्तु एवं सेवा कर या किसी भी अन्य प्रकार का का कर/टैक्स से सम्बन्धित भुगतान स्वयं उचित माध्यम से करेगें या निर्मित क्षेत्र के अनुपात में दोनों के उपरोक्त हिस्से के अनुसार प्रभाव होगा।

23. **यह कि** अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड/बहुमंजिला इमारत के सटे अगल–बगल/आगे–पीछे के भूखण्ड पर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत हेतु विकासकार्य एकरारनामा किसी से करते हैं या भूखण्ड खरीदते हैं तब अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड को अन्य भूखण्ड के साथ मिलाकर बहुमंजिला इमारत एक या एक से अधिक ब्लॉक के रूप में निर्माण करेंगे या

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

Sona Raghuvanshi

Ravindra Singh

Rabbi Singh

अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर निर्मित बहुमंजिला इमारत के लिये उपयोग किया जाने वाला रास्ता को ही दूसरी बनायी जाने वाली बहुमंजिला इमारत के लिए एप्रोच रोड/पहुँच–मार्ग/उपागमन सड़क के रूप में करेंगे। जिसकी सहमति वो स्वीकृति इस दस्तावेज के द्वारा भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को हमेशा के लिये अधिकार, इस प्रस्ताव के फलस्वरूप संभावित लाभ/फायदें के मद्देनजर अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के लॉट संख्या–1 के स्वामिणी मात्र के साथ द्वितीय पक्ष को अलग से एक एकरारनामा निष्पादित करने के शर्त के साथ देते हैं, अब विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत बनाने हेतु अनुसूची –I में वर्णित भूखण्ड/प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के सटे/अगल–बगल/आगे–पीछे के भूखण्ड को मिलाकर एक या एक से अधिक ब्लॉक के रूप में निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष सभी प्रकार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर स्वीकृति हेतु देंगे एवं बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु सभी तरह का कार्य करेंगे।

24. **यह कि** विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तावित निर्माण के लिए रकम जुटाने वो क्रेता को आकर्षित करने हेतु अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड में साइनबोर्ड/होर्डिंग इत्यादि लगायेंगे, न्यूज पेपर, इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देंगे।

25. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष सहमत और वचनबद्ध हैं, कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा समय–समय पर संशोधित अधिनियम/ बहुमंजिला इमारत से सम्बन्धित अधिनियम, अन्य अधिनियम, अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से के पूर्ण, निरपेक्ष एवं निर्विवाद स्वामिणीगण होंगे तथा भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से को पृथक्/अलग से बेचने/अन्तरण करने एवं किराया पर लगाने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे, जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासकर्त्ता अपने हिस्से का क्षेत्र को पूर्ण, निरपेक्ष एवं निर्विवाद स्वामिणीगण के रूप में बंधक रखकर ऋण ले लेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा इत्यादि करेंगे।

26. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर इस दस्तावेज के माध्यम से अपना–अपना नाम वर्तमान जमाबन्दी धारक के नाम के स्थान पर दाखिल खारीज के द्वारा रजिस्टर–2 में दर्ज कराकर लगान/कर निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणीगण की हैसियत से देय करते रहेगें वो इसके अलावे भी जहाँ–जहाँ वो जिस–जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझेंगें अपना नाम दर्ज करा लेगें, इसमें दोनों पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

SATVIKA INFRAINDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

27. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं :–

(i) कि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष को उक्त भूमि से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका विकास करने या कराने के लिए अधिकार प्राप्त है।

(ii) कि उक्त भूमि से संबंधित इस भूमि या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(iii) कि उक्त भूमि से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर विकासकर्त्ता को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो इसका पूरा निवारण भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष अपने खर्च से करेगें।

(iv) कि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष किसी बेनामी भूखण्ड स्वामिणीगण के बेनामीदार नहीं है।

(v) कि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष ने घोषणा की है, कि उक्त भूमि पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष ऐसे दावे को अपने खर्चे पर समाप्त करेंगे।

(vi) कि उक्त भूमि के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो भूखण्ड स्वामिणीगण उसका भुगतान करेंगे।

(vii) कि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष उक्त भूमि के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में विकासकर्त्ता सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और भूखण्ड स्वामिणीगण वचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्यवाई नहीं करेंगे।

(viii) कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचनें, पट्टा/किराया पर देने, ऋण लेने का अधिकार होगा।

(ix) कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित विभाग/अधिकारियों को आवेदन करेंगे तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए एवं अन्य कार्यो के लिये भी आवेदन करेंगे।

(x) कि किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD
MANAGING DIRECTOR

(xi) कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा बहुमंजिला इमारत के निर्माण में यह अधिकार होगा कि वह अपने कार्य को सम्बन्धित व्यक्ति/एजेन्सी के द्वारा कर सकते हैं।

(xii) कि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के निश्वत् न्यायपूर्ण, विधि संगत निर्माण कार्य करने हेतु सभी प्रकार के अधिकार देते हैं।

28. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों के अनुरुप उक्त भूमि के विकास से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए भूखण्ड स्वामिणीगण की ओर से विकासकर्त्ता को प्राधिकृत करते हैं।

29. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष वचनबद्ध हैं कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को कार्य करने में कोई बाधा या विरोध हो और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काम करने में किसी प्रकार की परेशानी हो। उक्त भूमि के विकास के लिए उसकी योजना बनाने के लिये तथा उक्त इमारत के निर्माण विकासकर्त्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे एवं किसी भी परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगें।

30. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष ने आपसी सहमति से निर्णय लिया है कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नाम **"सात्विका राजपति एन्क्लेव (SATVIKA RAJPATI ENCLAVE)"** होगा, भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के आपसी सहमति से इसके नाम को बदला भी जा सकता है।

31. **यह कि** इस उन्नयन मनोबंध तथा इससे संबंधित सभी अन्य खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च, जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प और निबंधन खर्च शामिल है, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष या उनके नामितों द्वारा वहन किया जायेगा।

32. **यह कि** निर्माण अवधि में भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतू व्यवहार में लाये गये सामानों की जॉच किसी भी कार्य दिवस में उचित अवधि के अन्दर कर सकते है इसमें विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा।

33. **यह कि** एकरारनामा दोनों पक्षों के उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि पर लागू रहेगा।

34. **यह कि** किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति The Arbitration and Conciliation Act के तहत किया जाएगा एवं विवाद या मतभेद समाप्त किया जाएगा।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

35. **यह कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006** / समय–समय पर संशोधित अधिनियम / बहुमंजिला इमारत से सम्बन्धित नए / अन्य अधिनियम की सभी नियम और शर्तें लागू होगी।

36. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष इस दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से लेकर बहुमंजिला इमारत के निर्माण पूर्ण होने तक किसी प्रकार का विघ्न, प्रतिबंध, अवरोध एवं बाधा उत्पन्न नहीं करेगें क्योंकि भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष इस दस्तावेज के निष्पादन के पूर्व ही फर्म के कार्य करने के तरीके से अवगत होकर ही इस दस्तावेज का निष्पादन करने हेतु सहमत हुये हैं।

37. **यह कि** भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष ने विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को पूर्ण विश्वास वो भरोसा दिलाये है कि अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड, हर तरह के नुक्स हकियत वो सभी तरह के ऋण भारों, बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण वो अन्य तरह के स्वामित्व सम्बन्धित वाद–विवाद से बिल्कुल मुक्त एवं पाक–साफ है वो सम्पत्ति नगर परिषद् दानापुर निजामत् / पटना महानगरीय क्षेत्र / पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) / सक्षम प्राधिकारी, भूमि हदबन्दी कार्यालय, भू–अर्जन कार्यालय, सम्पत्ति अधिग्रहण अटैचमेन्ट सम्बन्धित अध्यादेश / सूचना एवं किसी तरह का निषेधाज्ञा, किसी तरह के सरकारी–गैरसरकारी संस्थाओं, सरकारी–गैरसरकारी वित्तीय संस्थाओं या न्यायालय के द्वारा उक्त सम्पत्ति के अंश या पूर्ण भाग के निश्वत् किसी तरह की अधिसूचना प्रेषित नहीं की गयी है तथा भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं लिखे हैं वो न किए हैं और न ही भविष्य में करेंगे, अगर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष और इनके उत्तराधिकारी उक्त या अन्य वजह से अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के अंश भाग या कुल भू–भाग से बेदखल हो जायें या कर दिये जायें या किसी तरह का नुकसान सहना पड़े तो वैसी सूरत में भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष और इनके उत्तराधिकारीगण इसका पूर्ण निवारण अपने खर्च एवं संसाधन के द्वारा करेंगें।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

Sarva Raghuvanshi
Rabbi Singh

अनुसूची–I

विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा बनाये जाने वाले प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष के आवासीय परती भूमि का विवरणः–

लॉट सं0–I

(श्रीमती कंचन सिंह (भूस्वामिणी संख्या–I) की स्वामित्व वाली भूमि का विवरण)

क्षेत्रफल 6 कट्ठा 3 धुर 4 धुरकी (छह कट्ठा तीन धुर चार धुरकी) समतुल्य **19.25 डिसमिल** आवासीय परती रैयती भूमि, **अवस्थित महल्ला–सिकन्दरपुर मिथिला कॉलोनी से दक्षिण चवर, थाना–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय–पटना (बिहार)। जिसका सर्वे मौजा–सिकन्दरपुर, परगना–फुलवारी, थाना संख्या–17 (सत्रह), तौजी संख्या–5855/बिहार सरकार, खाता संख्या–255 (दो सौ पचपन), कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–669 (छह सौ उनहत्तर) का अंश,** सम्पत्ति का वार्षिक निर्धारित लगान लगभग ₹20/- अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार) को हलका–नगर परिषद् दानापुर, (बिहार) के माध्यम से 1. जमाबन्दी सं0–1239, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900140057, भाग वर्तमान–2 एवं पृष्ठ सं0–1239 एवं 2. जमाबन्दी सं0–1238, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900139040, भाग वर्तमान–1 एवं पृष्ठ सं0–1238 पर दिया जा रहा है एवं सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद् दानापुर के अन्दर है, जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है:–

–: : चौहद्दी : :–

उत्तर :– सहायक रास्ता.
दक्षिण :– कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–669 का अंश.
पूरब :– कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–670 का अंश
श्री शिव शरण सिंह.
पश्चिम :– सहायक रास्ता.

अनुसूची–I के लॉट सं0–I में वर्णित भूमि का वर्त्तमान बाजार मूल्य ₹1,25,13,000/- रूपये मात्र है।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD
Sona Raghuvanshi
MANAGING DIRECTOR

लॉट सं0–II

(श्रीमती सोना रघुवंशी उर्फ सोना कुमारी (भूस्वामिणी संख्या–II) की स्वामित्व वाली भूमि का विवरण)

क्षेत्रफल 3 कट्ठा (तीन कट्ठा) समतुल्य 9.375 डिसमिल आवासीय परती रैयती भूमि, **अवस्थित महल्ला–सिकन्दरपुर मिथिला कॉलोनी से दक्षिण चवर, थाना–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय–पटना (बिहार)।** जिसका सर्वे मौजा–सिकन्दरपुर, परगना–फुलवारी, थाना संख्या–17 (सत्रह), तौजी संख्या–5855/बिहार सरकार, खाता संख्या–255 (दो सौ पचपन), कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–669 (छह सौ उनहत्तर) का अंश, सम्पत्ति का वार्षिक निर्धारित लगान लगभग ₹ 20/- अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार) को हलका–नगर परिषद् दानापुर, (बिहार) के माध्यम से जमाबन्दी सं0–4905, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900084978, भाग वर्तमान–40 एवं पृष्ठ सं0–74144 पर दिया जा रहा है एवं सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद् दानापुर के अन्दर है, जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है:–

–: : चौहद्दी : :–

उत्तर :– कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–669 का अंश.

दक्षिण :– श्री सुखु महतो.

पूरब :– श्री शिव शरण सिंह.

पश्चिम :– सहायक रास्ता.

अनुसूची–I के लॉट सं0–I में वर्णित भूमि का वर्त्तमान बाजार मूल्य ₹60,94,000/- रूपये मात्र है।

Sona Raghuvanshi SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD. MANAGING DIRECTOR

लॉट सं0–III

(श्रीमती राखी मुकुल कुमार (भूस्वामिणी संख्या–III) की स्वामित्व वाली सम्पत्ति)

क्षेत्रफल 3 कट्ठा (तीन कट्ठा) समतुल्य 9.375 डिसमिल आवासीय परती रैयती भूमि, **अवस्थित महल्ला–सिकन्दरपुर मिथिला कॉलोनी से दक्षिण चवर, थाना–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय–पटना (बिहार)। जिसका सर्वे मौजा–सिकन्दरपुर, परगना–फुलवारी, थाना संख्या–17 (सत्रह), तौजी संख्या–5855/बिहार सरकार, खाता संख्या–255 (दो सौ पचपन), कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–669 (छह सौ उनहत्तर) का अंश,** सम्पत्ति का वार्षिक निर्धारित लगान लगभग ₹20/- अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार) को हलका–नगर परिषद् दानापुर, (बिहार) के माध्यम से जमाबन्दी सं0–4905, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0– 212139900084978, भाग वर्तमान–40 एवं पृष्ठ सं0–74144 पर दिया जा रहा है एवं सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद् दानापुर के अन्दर है, जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है:–

–: : चौहद्दी : :–

उत्तर :– कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–669 का अंश.

दक्षिण :– श्री सुखु महता.

पूरब :– श्री शिव शरण सिंह.

पश्चिम :– सहायक रास्ता.

अनुसूची–I के लॉट सं0–I में वर्णित भूमि का वर्त्तमान बाजार मूल्य ₹60,94,000/- रूपये मात्र है।

नोट :– उपर्युक्त सम्पत्ति न्युनतम दर पंजी के कोड सं0–039 पर अंकित है एवं जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य ₹2,47,01,000/- (दो करोड़ सैंतालीस लाख एक हजार) रूपये मात्र है।

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

अनुसूची–II

बहुमंजिला इमारत के भूखण्ड स्वामिगणों के हिस्से का वास्तु शास्त्रीय एवं निर्माण, ढ़ांचा, आन्तरिक एवं बाहरी कार्य आदि मदो की विशिष्टियाँ :–

1) ढ़ांचा :– कुशल स्ट्रकचरल अभियंता द्वारा तैयार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमादित एवं स्वीकृत आर0सी0सी0 भूकम्परोधी फ्रेम भवन का निरूपण।

2) भवन निर्माण सामग्रियाँ :– भारतीय प्रमाणक संस्थान के अनुरूप प्रथम कोटि एवं सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित सीमेंट, छड़ एवं बालू आदि। यथा टाटा बिकसन / सेल / स्टील तथा सीमेंटए0सी0सी / डालमिया

3) परिसज्जन :– भवन के सभी भीतरी दीवारें, सीलिंग अनुमोदित वाल पुट्टी के दो सतहो में (रेडीन्कू–पेंट) पुती एवं इमारत के बाहरी सतह पर दो तह वाल पुट्टी पर वेदर कोट।

4) दरवाजे :– साल लकड़ी चौखट तथा प्री–लैमिनेटेड हाई बोर्ड फ्लस पल्ला, एस0एस0 फीटिंग युक्त एवं पेन्टेड। यथा मयूर / ग्रीन / समकक्ष

5) खिड़कियाँ :– यू0पी0भी0सी0 अनुमोदित गुण युक्त ग्लास के साथ।

6) शौचालय :–फर्श – अनुमोदित ब्रांड (सोनामी, कजरिया या समकक्ष) सिरामिक्स टाईल्स।
दीवारें – अनुमोदित ब्रांड (सोनामी, कजरिया या समकक्ष) सिरामिक्स टाईल्स सीलिंग स्तर तक।
चौखट / पल्ला – क्रमांक (4) में वर्णित विशिष्टियाँ के अनुरूप।
काऊन्टर – ग्रेनाईट।
जलापूर्ति – ठंडा, गर्म पानी (वाल मिक्सचर नल) गीजर पोइंट के साथ।
फीटिंगस– सीगल लीवर सी0पी0, वाल गाऊन्टेड या फ्लोर कमबोड (कोहलर / सेरा, हिन्दवेयर या समकक्ष)

7) रसोई घर :– फर्श–ऐण्टीस्कीड सिरामिक्स टाईल्स (सोनामी, कजरिया या समकक्ष)
दीवार – काऊन्टर के उपर 900 एम0 एम0 तक उचित साईज के टाईल्स (सोनामी, कजरिया या समकक्ष)
काऊन्टर – पौलिशड ग्रेनाईट
सिंक – सिंगल बाऊल स्टेनलस बोर्ड के साथ
फिटिंगस – कोहलर / सेरा या समकक्ष ब्रांड भारतीय प्रमाणक संस्थान अनुरूप।

8) अन्य स्थानों का फर्श :–
क) ड्राईंग, डाईनिंग, बेड रूम में 600 x 1200 एम.एम. अनुमोदित साईज / ब्रांड भिटरीफाईड टाईल्स। सोनामी, कजरिया या समकक्ष
ख) बालकोनी – ऐन्टी स्कीड सिरामिकस टाईल्स (सोनामी, कजरियाया समकक्ष)
ग) कौरीडोर – ग्रेनाईट, दीवार इमलसन पेन्ट के साथ पुती हुई।
घ) लिफ्ट / लॉबी – ग्रेनाईट फिनिशड के साथ

9) सुरक्षात्मक कार्य :– कॉमन एरिया, मुख्य निकाश एवं प्रवेश आदि स्थानों पर सी0सी0टी0वी0

10) अन्य कार्य :– कॉपर वायरिंग, मोडुलर स्वीचस आदि (हवेल या समकक्ष ब्रांड)
ड्राईग / बेड रूम में डी0टी0एच0 पोईन्ट का प्रावधान
सीढ़ी के ट्रेड / राइजर पर ग्रेनाईट का उपयोग
बालकोनी में एस0एस0 रेलिंग ग्लास के साथ तथा सीढ़ी पर एस0एस0 रेलिंग का प्रावधान।

यह कि विकासकर्त्ता / द्वितीय पक्ष के द्वारा भूस्वामीगण को चेक संख्या–000004, 000005 एवं 000006, युको बैंक, रूपसपुर, दानापुर, पटना (बिहार) दिया जा रहा है, जिसे भूस्वामीगण प्रस्तावित बहुमंज़िला इमारत का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत होने के पश्चात भुगतान प्राप्त कर लेंगे।

SATVIKA INFRAINDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR
5/4/2024

5/4/2024
Sera Raghuvanshi
5/4/2024
Rohit Singh
5/4/2024

इस वास्ते यह दस्तावेज उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने मानसिक वो शारीरिक स्वस्थ–अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वो धमकाव के अपने तथा परिवार के हानि–लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली–भाँति समझ वो बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर एक दूसरे के बनाम वो वहक स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिए कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाह का नाम एवं पूरा पता :–

1.

2.

(भूखण्ड–स्वामिणीगण प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर)

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

(विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर)

भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों वो भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के कथनानुसार इस निर्विवाद उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा का प्रारूप तैयार किया, उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा के प्रारूप को अच्छी तरह से भूखण्ड स्वामिणीगण प्रथम पक्ष वो विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को पढ़कर सुना व समझा दिया।

टंकणकर्त्ता–

सुबोध कुमार (अधिवक्ता)
एम.एस.सी., एल.एल.बी.

PROPERTY
DOCUMENT CENTRE
MOBILE - 9334167775
8877444499

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 494100/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 515100/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-		20000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	
Proc.Fee	0	1000
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21000

Registering Officer
Danapur

Date: 05/07/2024

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Friday, 05th July 2024 by Kanchan Singh Arun Kumar Singh by profession Others. Status - Executant

कंचन सिंह
05/07/2024

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:05/07/2024**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sudhendu Ranjan' age '48' Sex 'M', 'Dev Narayan Mandal', resident of 'Khushi Kutir Main Road S.K.Nagar,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 05/07/2024

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 110 on pages on 181 -201, for the year 2024 and stored in CD volume No. CD-17 year 2024 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

निबंधन कार्यालय, दानापुर

Registering Officer
Danapur

Date : 05/07/2024

Token No. : 5054 Year : 2024 S.No. : 4979 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 4873

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar

e-Stamp

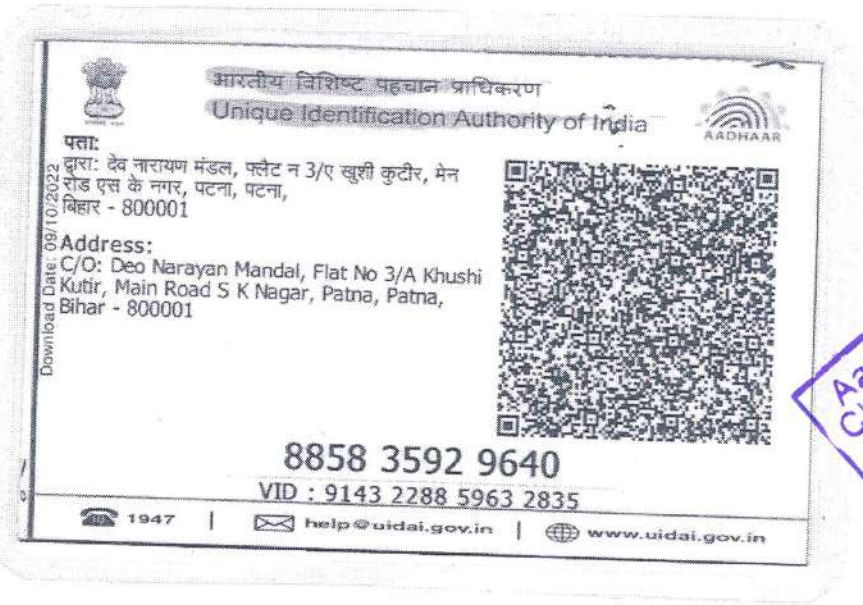
Certificate No.	:	IN-BR-2401050444
Certificate Issue Date	:	05-Jul-2024 03:28 PM
GRN No.	:	BHR20240700109704E
Unique Doc Reference	:	EST-BR-2802-2400006356
Party Name	:	SATVIKA INFRA INDIA PVT LTD
Purchased by	:	SATVIKA INFRA INDIA PVT LTD
Purpose	:	NA Article no (NA)
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	50500 (Fifty Thousand Five Hundred Only)
Reg. Fee (Rs.)	:	20000 (Twenty Thousand Only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero Only)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero Only)
Discore SC (Rs.)	:	1000 (One Thousand Only)
Total Amount (Rs.)	:	71500 (Seventy One Thousand Five Hundred Only)

IN 2401054282

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at https://enibandhan.bihar.gov.in or using enibandhan Mobile App. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.


भारत सरकार
Government of India
आधार
Issue Date: 22/01/2015
सुधेन्दु रंजन
Sudhendu Ranjan
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1976
पुरुष/ MALE
8858 3592 9640
VID : 9143 2288 5963 2835
मेरा आधार, मेरी पहचान


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India
AADHAAR
पता:
द्वारा: देव नारायण मंडल, फ्लैट न 3/ए खुशी कुटीर, मेन रोड एस के नगर, पटना, पटना, बिहार - 800001
Address:
C/O: Deo Narayan Mandal, Flat No 3/A Khushi Kutir, Main Road S K Nagar, Patna, Patna, Bihar - 800001
Download Date: 09/10/2022
8858 3592 9640
VID : 9143 2288 5963 2835
1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Aadhar Verified, Checked and Find Correct
In-charge

IDENTIFIER

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

ABDCS0308J

नाम / Name
SATVIKA INFRA INDIA PRIVATE LIMITED

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
06/12/2019

SATVIKA INFRA INDIA PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAKHI MUKUL KUMAR

KRISHNA KUMAR SINGH

03/07/1975
Permanent Account Number
AYTPS0520J

Rakhi
Signature

15012008



भारत सरकार
Government of India

राखी मुकुल कुमार
Rakhi Mukul Kumar
जन्म तारीख / DOB : 03/07/1975
स्त्री / Female

2840 3411 0115

आधार - सामान्य माणसाचा अधिकार



भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पत्ता W/O: मुकुल कुमार, डी-2 /355, पंडारा रोड, न्यू डेली जी.पी.ओ., न्यू डेली जी.पी., न्यू डेली, डेली, 110001

Address: W/O: Mukul Kumar, D-2/355, pandara Road, New Delhi G.P.O., New Delhi G.p, New Delhi, Delhi, 110001

2840 3411 0115

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

Aadhar Verified, Checked and Find Correct
In-charge

Rakhi Singh

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

ASNPR9702K

नाम / Name
SONA RAGHUVANSHI

पिता का नाम / Father's Name
KRISHNA KUMAR SINGH

जन्म की तारीख / Date of Birth
11/02/1977

Sona Raghuvanshi
हस्ताक्षर / Signature

20062021

आधार

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नोंदणीच्या क्रमांक / Enrollment No. : 0000/00593/60346

To
Sona Raghuvanshi
सोना रघुवंशी
B 801, Raheja Heights
A K Vaidya Marg
Opp Nng
Malad (E)
Mumbai
Malad East,Mumbai Suburban,
Maharashtra - 400097
9819751454

21/06/2013

91483758

KA914837589FH

आपला आधार क्रमांक / Your Aadhaar No.

2582 1354 8527

माझे आधार, माझी ओळख

भारत सरकार
Government of India



सोना रघुवंशी
Sona Raghuvanshi
जन्म तारीख / DOB: 11/02/1977
स्त्री / Female

2582 1354 8527

माझे आधार, माझी ओळख

Aadhar Verified, Checked and Find Correct
In-charge

Sona Raghuvanshi